फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

केशव शर्मा बनाम एस डी ओ बस्सी व अन्य

केस संख्या 136/2021 (बाज दायरी प्रार्थना पत्र)

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.09.2021	प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा ने इस न्यायालय के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021 व उनवानी केशव शर्मा बनाम एस डी ओ बस्सी व अन्य को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 30.03.2021 को खारिज कर दिये जाने से पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत यह बाज दायरी प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2019 व उनवानी केशव शर्मा व अन्य बनाम राजस्थानसरकार व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री राम कुमार वर्मा से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के लिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था। जो दिनांक 30.03.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री राम कुमार वर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए इस बाजदायरी प्रार्थाना पत्र का कोई औचित्य नही है। बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। 21/9/21 (अन्तर सिंह नेहरा)	